महत्वपूर्ण

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून
दूरभाष : 0135 – 2675780, 2675779 ईमेल : uicddn@gmail.com

सख्या : /उ.सू.आ./2014–15 दिनांक : 27 दिसम्बर, 2014

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन
2. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल, देहरादून / नैनीताल
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड
6. समस्त प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड
7. कुलसचिव, समस्त विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड

विषय : **लोक सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों के द्वारा सूचना अनुरोध पत्रों एवं प्रथम अपीलों के निस्तारण पत्रों में अपने नाम, पदनाम आदि का विवरण दिये जाने विषयक.**

महोदय/महोदया,

आयोग के संज्ञान में तथ्य आया है कि अधिकांश लोक सूचना अधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले अनुरोध पत्रों का निस्तारण करते समय अनुरोधकर्ताओं को प्रेषित किये जाने वाले पत्रों में मात्र *'लोक सूचना अधिकारी'* लिखते हुये हस्ताक्षर किये जाते हैं. इसी प्रकार अधिकांश प्रथम अपीलीय अधिकारियों के द्वारा प्रथम अपीलों के निस्तारण आदेशों में मात्र *'अपीलीय अधिकारी'* लिखते हुये हस्ताक्षर किये जाते हैं. यह प्रकिया सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार अनियमित है, तथा ऐसा करने से अनुरोधकर्ताओं/अपीलकर्ताओं में लोक सूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी के नाम, विभागीय पदनाम आदि जानकारी के सम्बन्ध में भ्रम की

स्थिति बनी रहती है. इसके अतिरिक्त आयोग में द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों की सुनवायी के समय सही अधिकारी को इंगित किये जाने में भी कठिनाई होती है.

2. इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा यह व्यवस्था की जाती है कि प्रत्येक लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा अनुरोध पत्रों तथा प्रथम अपीलों का निस्तारण करते समय सम्बन्धित पत्र/आदेश में अपना ***नाम, विभागीय मौलिक पदनाम, दूरभाष/मोबाईल संख्या*** तथा ***ई–मेल*** की पूर्ण जानकारी अवश्य दी जाये. लोक सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों के द्वारा द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवायी के समय आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण में भी उक्त जानकारी दी जानी आवश्यक है.

3. कृपया अपने अधीनस्थ समस्त लोक सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों को उपरोक्त दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें.

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस सम्बन्ध में समस्त लोक प्राधिकारियों को शासन स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें.

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त